

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राज. जयपुर

क्रमांक :- ई-33/लै.टै./ (1149)/2024/ 195

दिनांक : 01/05/2024

आदेश

निम्नलिखित कार्मिक जिनके द्वारा राज्य सेवा में 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर उनके नाम के सम्मुख अंकित से.नि.तिथि से मध्यान्ह पश्चात् राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है :-

क्र. सं.	नाम कर्मचारी व पद	पदस्थापन स्थान	जन्म तिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1	सत्यनारायण नामा नेत्र सहायक	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर।	01.01.1965	31.12.2024
2	जनक सिंह वरिष्ठ लैब टैक्नीशियन	सीएचसी आसोप, जोधपुर।	10.06.1964	30.06.2024
3	पूरण मल यादव वरिष्ठ तकनीकी सहायक	जिला अस्पताल बहरोड, अलवर।	02.06.1964	30.06.2024

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त कर्मचारी के विरुद्ध:-

- (1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जॉच विचाराधीन/लंबित नहीं है।
- (2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
- (3) कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लंबित नहीं है।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

दिनांक : 01/05/2024

क्रमांक :- ई-33/लै.टै./ (1149)/2024/ 195

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग राज. जयपुर।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर/जोधपुर।
3. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला अस्पताल बहरोड, अलवर।
4. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करें।
5. संबंधित कार्मिक को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
6. प्रशासनिक अधिकारी डीपीसी अनुभाग मुख्यालय।

उक्त कर्मचारी के विरुद्ध यदि आडिट पेरा या अन्य कोई वसूली बकाया हो तो उसकी वसूली तत्काल कर निदेशालय को अवगत करावें।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

Signature valid

RajKaj Ref
6787862



Digitally signed by Rakesh Kumar
Sharma
Designation : Director
Date: 2024.04.28 08:54:11 IST
Reason: Approved